आंध्रप्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण का मुद्दा

प्रलिम्सि के लयि:

आरक्षण, इंद्रा साहनी नरि्णय, अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4A), अनुच्छेद 16(4B), अनुच्छेद 15(4)

मेन्स के लयि:

सार्वजनकि रोज़गार और संबंधति नरि्णयों में **आरक्षण**, धर्म के आधार पर आरक्षण

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ष 2004 में आंध्रप्रदेश में मुसलमानों को प्रदत्त 5% आरक्षण का मुद्दा पुनः चर्चा में है, जिसिसे धर्म-आधारति आरक्षण से संबंधति बहस दोबारा शुरू हो गई है।

आंध्रप्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण की पृष्ठभूमि:

- **परिचय:**
  - आंध्रप्रदेश में, जहाँ मुसलमानों की आबादी लगभग 9.5% है, जबकि कुछ मुस्लमि समूह पूर्व से ही राज्य ओ.बी.सी. अनुसूची में शामलि हैं, जसिमें उन्हें 7% से 10% तक का आरक्षण कोटा प्राप्त है।
    - हालाँकि, कर्नाटक और केरल के मॉडल का अनुसरण करते हुए सभी मुसलमानों को अन्य पछिडा वर्ग की श्रेणी में शामलि करने पर ज़ोर दयिा गया है।
- **वर्ष 2004 में आरक्षण:**
  - जून, 2004 में सरकार ने OBC सूची में शामलि करने के लयि राज्य में मुसलमानों की **सामाजकि-आर्थकि एवं शैक्षकि स्थति** की जाँच की, जसिके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत **5% आरक्षण** दयिा गया।
  - हालाँकि, आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने पछिड़ा वर्ग आयोग को संदर्भति कयि बनिा क्रीमी लेयर को आरक्षण की श्रेणी से बाहर न करने के लयि लागू कयि जाने वाले आरक्षण कोटा को रद्द कर दयिा था।
    - न्यायालय ने कहा कि **मुस्लमि समुदाय को एक समान समूह (Homogenous Group) नहीं माना जा सकता है।**
    - न्यायालय के समक्ष प्रमुख प्रश्नों में से एक यह था कि क्या एक समूह के रूप में मुसलमान संवैधानकि ढाँचे के भीतर सकारात्मक कार्रवाई **के हकदार** हैं, जसि पर **न्यायालय ने ने सकारात्मक कार्रवाई के पक्ष** में नरि्णय सुनाते हुए कहा कि इस तरह के आरक्षण धर्मनरिपेक्षता **का उल्लंघन नहीं करते** हैं।
- **वर्ष 2005 में आरक्षण:**
  - **पछिड़ा वर्ग आयोग** ने **समस्त मुस्लमि समुदाय** को सामाजकि, शैक्षणकि और आर्थकि रूप से पछिड़ा बताते हुए आरक्षण देने की सफिारशि की।
  - राज्य सरकार ने फरि से मुसलमानों को 5% कोटा देने वाला एक अध्यादेश पेश कयिा, जसि बाद में कानून से बदल दयिा गया।
  - उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कि आयोग ने यह नष्कर्ष नकालने के लयि **वस्तुनष्ठि मानदंडों** (एम. नागराज बनाम भारत संघ, 2006) पर भरोसा नहीं कयिा कि एक समूह के रूप में मुस्लमि आंध्र प्रदेश में पछिड़े थे, एक बार फरि **कोटा को रद्द कर दयिा गया**।
  - इस नरि्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जसिने वर्ष 2010 में मामले की सुनवाई होने तक **यथास्थति बनाए रखने** का नरि्देश दयिा गया।
- **वर्तमान स्थति:**
  - सर्वोच्च न्यायालय में अंतमि सुनवाई वर्ष 2022 के लयि नरि्धारति की गई थी। हालाँकि आर्थकि रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) **कोटा मुद्दे** पर नरि्णय होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करने का नरि्णय कयिा।
  - EWS कोटा नवंबर, 2022 में मंज़ूरी दे दी गई थी, लेकनि AP कोटा मुद्दे पर **अभी तक सुनवाई नहीं हुई है।**
- **आंध्र के आरक्षण मॉडल से जुड़े मुद्दे:**
  - मुसलमानों को एक समरूप समूह मानना **संवधिान की मूल संरचना** में समानता के सद्धिांत का उल्लंघन है।

- यह **केवल धर्म के आधार पर** आरक्षण देने पर **संवैधानिक निषेध** का भी उल्लंघन करता है **(अनुच्छेद 15(1) और 16(2))**।
- उच्च न्यायालय ने पाया कि आंध्र प्रदेश की आरक्षण सीमा (46%) अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत प्रदत्त कोटा के अनुरूप है और इसमें मुसलमानों के लिये 5% आरक्षण देने से **50% की सीमा का उल्लंघन** होता है, इस उल्लंघन के लिये बाध्यकारी कारणों की कमी पर प्रश्न उठाया।

अन्य राज्यों में समान धर्म आधारित आरक्षण:

- **केरल:** अपने 30% OBC कोटा के भीतर 8% मुस्लिम कोटा प्रदान करता है।
- **तमिलनाडु और बिहार:** अपने OBC कोटे में मुस्लिम जाति समूहों को भी शामिल करते हैं।
- **कर्नाटक:** 32% OBC कोटा के अंतर्गत मुसलमानों के लिये 4% उप-कोटा निर्धारित था।
    - राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में इस उप-कोटा को वोक्कालिगा और लिंगायतों के बीच पुनर्वितरित किया।
- **कर्नाटक का हालिया मुद्दा:**
    - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने कर्नाटक में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कोटा के वर्गीकरण के संबंध में, विशेष रूप से **श्रेणी II-B के तहत मुसलमानों के लिये "ब्लैंकेट रिज़र्वेशन"** के मुद्दे को संबोधित करते हुए, कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को समन किया है।
    - **वर्तमान स्थिति:** कर्नाटक OBC वर्गीकरण की **श्रेणी II-B** के तहत मुसलमानों को वर्गीकृत करता है, इसके अलावा **श्रेणी I** में 17 और **श्रेणी II-A** में 19 मुस्लिम जातियाँ शामिल हैं।
    - **NCBC की चिंता:**
        - NCBC मुसलमानों के लिये एक पृथक श्रेणी की आवश्यकता पर प्रश्न उठाती है और उनके पिछड़े वर्गीकरण को उचित ठहराने वाली **रिपोर्टों की वैधता** पर संदेह करती है।
        - NCBC का दावा है कि OBC कोटा के भीतर वर्गीकरण के कारण **कर्नाटक में मुसलमानों को स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश में विशेष प्रतिनिधित्व** दिया जा रहा है।
        - NCBC को चिंता है कि **सभी मुसलमानों को** स्थानीय निकाय **चुनावों में किसी भी OBC या सामान्य श्रेणी की सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति देने** से अन्य योग्य OBC समुदाय अवसरों से वंचित हो सकते हैं।
    - **कर्नाटक सरकार का तर्क:**
        - कर्नाटक सरकार ने विभिन्न राज्य आयोगों द्वारा अनुशंसित मुसलमानों को **न तो जाति और न ही धर्म,** बल्कि पिछड़ा वर्ग मानते हुए श्रेणी II-बी के तहत वर्गीकृत को उचित ठहराया।

आरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधान क्या हैं?

- **संवैधानिक प्रावधान:**
    - **संविधान का अनुच्छेद 16(4)** "पिछड़े वर्ग के नागरिकों" के लिये आरक्षण की अनुमति देता है। **राज्यों** को यह निर्धारित करने का **विवेक** है कि किन समुदायों को पिछड़े वर्गों के रूप में रखा जा सकता है।
        - **अनुच्छेद 15** के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिये अर्हता प्राप्त करने के लिये, एक समूह को **पहले अपना सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन प्रदर्शित करना होगा** तथा **अनुच्छेद 16(4)** के तहत सार्वजनिक रोज़गार में आरक्षण के लिये अधिकारियों को समूह के पिछड़ेपन और सार्वजानिक रोज़गार में इसके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दोनों को सुनिश्चित करना होगा।
- **सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय:**
    - **चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य (वर्ष 1951):**
        - शैक्षिक संस्थानों में केवल जाति के आधार पर आरक्षण को समाप्त कर दिया।
        - संविधान के प्रथम संशोधन का नेतृत्व किया।
    - **इंद्रा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ, 1992:**
        - **आरक्षण पर परिभाषित सीमाएँ:**
            - क्रीमी लेयर का बहिष्कार
            - 50% कोटा सीमा
            - पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं (एससी/एसटी को छोड़कर)।
    - **एम. नागराज बनाम भारत संघ मामला, 2006:**
        - **अनुच्छेद 16** को बरकरार रखा (4A पदोन्नति में एससी/एसटी के लिये आरक्षण की अनुमति देता है)
        - ऐसी नीतियों के लिये 3 शर्तें स्थापित की गईं:
            - सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन
            - अपर्याप्त प्रतिनिधित्व
            - दक्षता को बनाए रखना
    - **जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामला, 2018:**
        - SC एवं ST के लिये पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति
        - राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।
    - **जनहित अभियान बनाम भारत संघ, 2022:**
        - सर्वोच्च न्यायालय ने **103वें संवैधानिक संशोधन** की वैधता को बरकरार रखा है जो पूरे भारत में सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में अगड़ी जातियों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections - EWS) के लिये 10%

आरक्षण प्रदान करता है।

भारत में धर्म-आधारित आरक्षण से संबंधित तर्क क्या हैं?

- **भारत में धर्म-आधारित आरक्षण के पक्ष में तर्क:**
  - **सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन: सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार**, भारत में मुसलमान शिक्षा, रोज़गार और आय जैसे सामाजिक-आर्थिक असमानता के मामले में अन्य समुदायों से पीछे हैं।
    - आरक्षण इस अंतर को कम करने में सहायता कर सकता है।
  - **संवैधानिक आदेश:** भारतीय संविधान **धार्मिक** और सांस्कृतिक संप्रदाय के बावजूद सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है।
  - **पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना:** आरक्षण रोज़गार, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व वाले धार्मिक समूहों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकता है।
- **भारत में धर्म-आधारित आरक्षण के विरुद्ध तर्क:**
  - **धर्मनिरपेक्षता:** आलोचकों का तर्क है कि धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान करना **भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध** है, जो राज्य द्वारा **सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की वकालत** करता है।
  - **राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करना:** धर्म-आधारित आरक्षण राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर कर सकता है क्योंकि इससे विभिन्न **समुदायों के बीच वैचारिक विभाजन** हो सकता है।
  - **आर्थिक मानदंड:** आरक्षण केवल धर्म के स्थान पर आर्थिक मानदंडों पर आधारित होना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ उन लोगों तक पहुँचे जो वास्तव में आर्थिक रूप से वंचित हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
  - **प्रशासनिक चुनौतियाँ:** धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने से **प्रशासनिक चुनौतियाँ** उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे लाभार्थियों की पहचान के लिये **मानदंड निर्धारित करना** एवं प्रणाली के दुरुपयोग को रोकना।

आगे की राह

- **सामाजिक-आर्थिक मानदंड:** धर्म के स्थान पर **आरक्षण सामाजिक-आर्थिक मानदंडों पर आधारित** हो सकता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सबसे वंचित व्यक्तियों तक पहुँचे, यद्यपि उनका धर्म कुछ भी हो।
- **शिक्षा के माध्यम से सशक्तीकरण:** पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिये **शैक्षिक बुनियादी ढाँचे में सुधार** के साथ-साथ कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- **समावेशी नीतियाँ:** धर्म आधारित आरक्षण का सहारा लिये बिना, शिक्षा, रोज़गार एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में पिछड़े धार्मिक समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली **समावेशी नीतियों को लागू करना**।
- **संवाद एवं सर्वसम्मति:** विभिन्न समुदाय, उनके सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिये आम सहमति पर पहुँचने के लिये **सभी हितधारकों को शामिल करते हुए संवाद** में शामिल हों, यह सुनिश्चित करते हुए कि उठाए गए कोई भी उपाय संवैधानिक मूल्यों एवं सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान करने की संवैधानिक वैधता एवं सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। यह धर्मनिरपेक्षता, समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को किस प्रकार से प्रभावित करता है?

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी/थीं? (2011)

1. भारत के लिये पूर्ण स्वतंत्रता।
2. अल्पसंख्यकों की सीटों के आरक्षण के लिये संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र।
3. संविधान में भारत के लोगों के लिये मौलिक अधिकारों का प्रावधान

नीचे दिये गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

?????:

प्रश्न. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/issue-of-reservation-for-muslims-in-andhra-pradesh